(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 24/2019 एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उप धारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के खंड (i), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, अधिसूचित करती है कि राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिनमें वे लोक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हों, को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा, यथा:-

“लाईसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो के प्रतिफल की एवज में शराब के लाईसेंस को दिए जाने के माध्यम से सेवा ।”

(फाइल संख्या 354/136/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्पष्टीकरण: यह अधिसूचना 10 मार्च, 2018 को हुई माल एवं सेवाकर परिषद की 26वीं बैठक की इस सिफारिश को लागू करने के लिए जारी किया जा रहा है कि मानव के द्वारा सेवन किए जाने वाले अल्कोहल युक्त शराब पर भुगतान किए जाने वाले किसी लाईसेंस शुल्क, आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो, पर कुछ भी जीएसटी नहीं लगेगी ।